

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): प्रतापनगर Year (वर्ष): 2020

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0463 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/09/2020 06:50 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	420
2	भा दं सं 1860	467
3	भा दं सं 1860	468
4	भा दं सं 1860	471
5	भा दं सं 1860	120-B
6	राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश, 1949	3
7	राजस्थान सार्वजनिक द्यूत अध्यादेश, 1949	4
8	सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008	66C

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): Date From (दिनांक से): Date To (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): Time To (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/09/2020 Time (समय): 06:50 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date & Time (दिनांक एवं समय): 14/09/2020 06:50:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): पश्चिम, 3.48 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b)Address(पता): 103/64, sectar 10 pratap nagar

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Navaratan Dholiya

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 12/10/1980

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

Place of Issue

(जारी करने की तिथि):

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Siras, Niwai, निवाई, टोंक , राजस्थान, 304020, भारत
2	वर्तमान पता	CI police station pratap nagar, प्रतापनगर, जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत
3	स्थायी पता	Siras, Niwai, निवाई, टोंक , राजस्थान, 304020, भारत

(j) Phone number

(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

91-8952953451

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ankit jain		पिता:ashok jain	1. 43,janta colony,bus stand ke pichhe dewli,tonk,देवली, टोंक , राजस्थान,भारत
2	pradip jain		पिता:dhanraj jain	1. 403,akyojan sky buddhsinghpura,sanganer, प्रतापनगर,जयपुर सिटी (पूर्व),राजस्थान,

				भारत
3	yogesh jain		पिता:satynarayan	1. A-72,sarshwati nagar,जवाहर सर्कल,जयपुर सिटी (पूर्व),राजस्थान,भारत
4	manish bedi		पिता:kamal kishor	1. 104,aayojan sky, buddhsinghpura,प्रतापनगर,जयपुर सिटी (पूर्व),राजस्थान,भारत
5	nitin kumar jain		पिता:vimal kumar jain	1. 101/131,sectar 10 pratap nagar jaipur,प्रतापनगर,जयपुर सिटी (पूर्व),राजस्थान,भारत
6	atul mangal		पिता:ashok kumar jain	1. 103/64,sectar 10 pratap nagar jaipur,प्रतापनगर,जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान,भारत
7	subham jain		पिता:dharam chand jain	1. 172/163,sectar 17 pratap nagar,rawar school ke pass, प्रतापनगर,जयपुर सिटी (पूर्व),राजस्थान, भारत
8	ravi kumar jain		पिता:birdi vhand jain	1. 171/190,sectar 17 pratap nagar,प्रतापनगर,जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान,भारत
9	aashish jain		पिता:nortamal jain	1. bus stand ke pichhe,dewali, देवली, टोंक ,राजस्थान,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
--------------------	--	---------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें,श्रीमान थानाधिकारी महोदय,पुलिस थाना प्रताप नगर,जयपुर पूर्व,विषय- मुकदमा दर्ज करने बाबत,महोदय,उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इस समय मन् पुलिस निरीक्षक नवरतन धौलिया आई/सी थाना मय हमराही जाब्ता सुन्दरलाल उपनिरीक्षक, प्रहलाद चंद स0उ0नि0रेश मय नरेश कुमार कानि. 11464, मनीष कुमार कानि. 9342 कमलेश कुमार कानि. 10992,परमानन्द कानि.7622, कोमल कुमारी महिला कानि. 12167, बाबुलाल कानि.8528, विजय कानि. 4425 के बहवाले रपट नं58 दिनांक 13/09/2020 रोजंआम का रवानाशुदा मय गिर0शुदा अभियुक्तगण नफर 09 क्रमश 01. प्रदीप जैन 02. योगेश जैन 03. मनीष बेदी 04. नीतिन जैन 05. अतुल मंगल 06. अंकित जैन 07. शुभम जैन 08. आशीष जैन व 09. रविकुमार जैन मय जब्तशुदा आर्टिकल्स मय सट्टे की खाईवाली में दाव पर लगाई हुई रकम 37.50 लाख रुपये मय जब्तशुदा वाहन 03 मोटरसाइकिल, चार स्कूटी, एक एक्सयूवी कार के हाजिर थाना आया। हालात इस प्रकार कि मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता के गश्त निगरानी बदमाशान करता हुआ अजय मार्ग तिराहे पर पहुचा जहां पर सादा वर्दी में श्री द्वारका प्रसाद सहायक उप निरीक्षक सीआईयू टीम आयुक्तालय जयपुर महानगर ने मुझे हाथ का ईशारा कर रूकवाकर

सूचना दी की कि “ मुझे जरिये मुखविर खास सूचना प्राप्त हुई है कि मकान नम्बर 103/64, सेक्टर-10, प्रतापनगर, जयपुर में कुछ लोग इंग्लैंड बनाम आस्ट्रेलिया वनडे क्रिकेट मैच पर रुपये दाव पर लगा कर ऑनलाईन सट्टे की खाईवाली कर रहे हैं, जिन्हें मौके पर जाकर तुरन्त चैक किया जावे तो खाईवाली करते हुये पकड़े जा सकते हैं आदि सूचना पर कार्यवाही के लिये श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पूर्व से धारा 05 आर0पी0जी0ओ0 के प्रावधानों के तहत सर्च वारण्ट प्राप्त किया जाना है जिसके लिये पूर्व में रवानाशुदा मोबाईल गश्ती जासा, चेतक जासा व सिग्मा जासे को तलब किया जो हाजिर आने पर उक्त जासे में से कानि0 श्री नरेश कुमार नं0 11464 को तहरीर देकर जरिये सिग्मा वाहन के श्रीमान पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पूर्व के पास रवाना किया गया। मन पु0नि0 मय जासे के राणा सांगा मार्ग पर मुकिम रहा इस दौराने थाने से तलविदा श्री सुन्दर लाल उ0नि0 मय कमलेश कानि. 10992, मनीष कुमार कानि. 9342 भी हाजिर आये। कार्यवाही हेतु कानि. परमानन्द को स्वतंत्र गवाह तलाश कर लाने बाबत हुकमनामा जारी किया गया जो काफी देर तक आस पास स्वतंत्र गवाहन की तलाश कर वापस आया और बताया कि निजी कारणों से आस पास कोई व्यक्ति गवाह बनने हेतु तैयार नहीं हुआ। इसके बाद कानिस्टेबल श्री नरेश कुमार ने श्रीमान पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व द्वारा जारी सर्च वारंट लाकर मन पु0नि0 को पेश किया। मन पु0नि0 ने मौजूदा जासे को प्राप्त ईत्तला से अवगत कराया जाकर वक्त रात्रि होने से कार्यवाही में मौतबीर बनने हेतु कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर हमराही जाबते में से श्री 01. नरेश कुमार कानि. 11464 पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर 02. परमानन्द कानि. 7622 पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर को मौतबीर मामूर किया गया और श्री द्वारका प्रसाद सहायक उप निरीक्षक सीआईयू टीम आयुक्तालय जयपुर महानगर के बताये अनुसार उसके पीछे पीछे मय हमराही जासे के मकान नम्बर 103/64 सेक्टर 10, प्रतापनगर जयपुर पहुंचा, मकान नम्बर 103/64 में प्रवेश किया तो मैन गेट अन्दर से बन्द था जिस पर गेट को खटखटाया तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला जिससे नाम पता पूछा तो अपना नाम अंकित जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन जाति जैन उम्र 25 साल निवासी- मकान नम्बर 43, जनता कॉलोनी, बस स्टेण्ड के पीछे, देवली जिला टोंक होना बताया, जिसे मुखबीर की सूचना से अवगत करवाया जाकर सर्च वारंट दिखाया व पढकर सुनाया जिस पर उसके गेट के अन्दर की कुन्दी खोलने पर मकान के कॉमन हॉल में मय जासा के प्रवेश कर देखा तो कॉमन हॉल के अन्दर के कमरे में आठ अन्य लडके बैठे थे जिनको ज्यो का त्यों बैठे रहने की हिदायत कर नाम पता पूछा तो पृथक पृथक अपना नाम 1.प्रदीप जैन पुत्र श्री धनराज जैन जाति उम्र 28 साल निवासी ढण्ड का रास्ता थाना केकडी अजमेर हाल किरायेदार फुलचंद लांगरी का मकान फ्लेट नम्बर 403 आयोजन स्काई बुधसिंहपुरा सांगानेर जयपुर 2. योगेश जैन पुत्र श्री सत्यनारायण जैन जाति जैन उम्र 28 साल निवासी ज्योति कॉलोनी शुभम अस्पताल के पीछे देवली टोंक हाल किरायेदार मीणा का मकान ए-72 सरस्वती नगर जवाहर सर्किल जयपुर 3. मनीष बैदी पुत्री कमलकिशोर बैदी जाति दर्जी उम्र 31 साल निवासी-कुचरवाडा रोड देवली थाना हनुमान नगर जिला भीलवाडा हाल फ्लेट नम्बर 104 आयोजन स्काई बुधसिंहपुरा सांगानेर जयपुर 4. नितीन कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन जाति जैन उम्र 30 साल निवासी- शिव कॉलोनी नेमीनाथ मन्दिर के पीछे थाना केकडी अजमेर हाल किरायेदार मकान नम्बर 101/131 सेक्टर 10 प्रताप नगर जयपुर 5. अतुल मंगल पुत्र श्री अशोक कुमार जाति जैन उम्र 31 साल निवासी- जनता कॉलोनी वार्ड नम्बर 13 बस स्टेण्ड देवली थाना देवली हाल मकान नम्बर 103/64 सेक्टर 10 प्रताप नगर जयपुर 6.शुभम जैन पुत्र श्री धर्मचंद जैन उम्र 20 साल जाति जैन निवासी-172/163 सेक्टर 17 रावत स्कूल के सामने प्रताप नगर जयपुर 7. आशीष जैन पुत्र श्री नौरतमल जैन जाति जैन उम्र 28 साल निवासी- बस स्टेण्ड के पीछे थाना देवली जिला टोंक 8. रवि कुमार जैन पुत्र श्री बिरदी चंद जैन उम्र 30 साल जाति जैन निवासी-नासिरदा थाना देवली जिला टोंक हाल मकान नम्बर 171/190 सेक्टर 17 प्रताप नगर जयपुर बताया। जो कमरे की दीवार पर लगी एलईडी टीवी जिसमें इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया का एक दिवसीय लाइव मैच देख रहे थे। तथा मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी कर रही थी लडको के सामने कमरे में दो लेपटॉप जिसमें से एक एचपी कम्पनी का व दुसरा डेल कम्पनी का, रखे हुए थे। उक्त दोनों लेपटॉप चालू अवस्था में थे। जिन्हें चैक किया गया तो KHAIE EXCH.COM, TREE XCH.COM, RADME XCH.COM, WAVE XCH.COM, JAPAN BAT.COM उक्त साईटे दोनों लेपटॉपों में चालू थी। उक्त साईटे शक्सों ने डाइमंड एक्सचेंज साईट से डाटा बेईमानी पूर्वक प्राप्त करना बताया। दोनों लेपटॉपों में करोड़ों रूपयाे का जुआ का हिसाब किताब मिला जिसकी पृथक से एचपी कम्पनी के लेपटॉप में एक्सेल फाईल बनाई जाकर राजेश बुकी नाम से फोल्डर बनाकर सेव किया गया। लेपटॉपों के पास तैरह मोबाइल विभिन्न कम्पनियों के रखे हुये मिले। जिनमें विभिन्न कम्पनियों की सीम लगी हुई मिली। मोबाइल फोनो में जो सिम लगी हुई है वो मुल्जिमानों द्वारा धोखाधडीपूर्वक कूटरचना कर उक्त मोबाइलों में लगी हुई सिम दूसरे अन्य व्यक्तियों के नाम से प्राप्त की जाना बताया व लडकों के पास छः चार्जर केबल व एक चार्जर मय केबल, एक नोकिया कम्पनी का वाई फाई मय चार्जर व एक TENDA कम्पनी का वाई फाई मय चार्जर, एक सिगेट कम्पनी की हार्ड डिस्क मिली। कमरे में एक तरफ कोने में एक बैग रखा हुआ मिला जिसे चैक किया गया तो बैग में रूपये रखे मिले। जिन्हें उपरोक्त शक्सान की मौजूदगी में हमराही जासे की मदद से गिना गया तो कुल रकम सैंतीस लाख पचास हजार होनी पायी गयी। उक्त रकम के बारे में पूछा गया तो उपरोक्त शक्सान ने सट्टे की खाईवाली में दाव पर लगाई हुई रकम होना बताया। उपरोक्त शक्सों से इलेक्ट्रिक उपकरणों के माध्यम से क्रिकेट मैच में रुपये दाव पर लगाकर सट्टे की खाईवाली बाबत अनुज्ञापत्र/लाईसेंस मांगा तो नहीं होना बताया। उक्त

शक्सान ने बताया कि राजेश भाई मयूर भाई सुरेश भाई जो कि सट्टा कारोबारी है के निर्देशानुसार सट्टा कारोबार की प्रसिद्ध वेबसाइटों का बेईमानी से डाटा प्राप्त कर स्वयं की वेबसाइटों पर जरिये ऑन लाईन सट्टा संचालित किया जाता है। उक्त सट्टे की रकम हवाला कारोबार के जरिये प्राप्त करना बताया है। बिना लाईसेंस/अनुज्ञापत्र इलेक्ट्रिक उपकरणों से बेईमानी पूर्वक डाटा प्राप्त कर अवैध साईट बनाकर रूपये दाव पर लगाकर सट्टे की धोखाधड़ीपूर्वक ऑनलाइन खाईवाली करना अपराध धारा 3/4 आर0पी0जी0ओ0 420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0 व 66सी आईटी एक्ट की नोयत में आने पर सट्टे की खाईवाली में प्रयुक्त उक्त उपकरणों को व सट्टे की खाईवाली में दाव पर लगाई गई जुआ रकम को बतौर वजह सबूत जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस लिया जाकर रकम सैंतीस लाख पचास हजार रूपये को एक कपडे की थैली में रखकर शिल्डमोहर कर मार्का ए अंकित किया गया। जुए में प्रयुक्त सट्टा उपकरणों एलईडी टीवी, लेपटॉप, मोबाइल फोन, वाई फाई केबल चार्जर आदि को पृथक से जरिये फर्द जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। मकान के पोर्च में तथा उक्त मकान के बाहर गेट के पास खडे वाहनों को चैक किया तो रॉयल इनफिल्ड आरजे 20 एसजे 0177 मोटरसाईकिल को जिसे प्रदीप जैन ने अपनी होना बताया व एक स्कुटी नम्बर आरजे 14 क्यूडी 3904 जिसे योगेश जैन ने अपनी होना बताया। मोटरसाईकिल आरजे 14 जेए 4740 जिसे शक्स मनीष बेदी ने अपनी होना बताया। एक कार एक्सयूवी जिसके रजि. नं०GJ01KW 5376 जो कि मकान के बाहर सडक पर मुख्य द्वार के सामने खडी थी। जिसे शक्स अतुल मंगल ने अपनी होना बताया। एक्टिवा स्कुटी आरजे 14 बीजे 9200 को भी अतुल मंगल ने अपनी होना बताया। एक्टिवा स्कुटी आरजे 01 क्यूएस 6612 को शुभम जैन ने अपनी होना बताया। एक्टिवा स्कुटी आरजे 14 बीजे 9199 को नितीन कुमार जैन ने अपनी होना बताया। मोटरसाईकिल हिरो एचएफ डिलक्स रजि. नम्बर आरजे 14 एनजे 0973 को रवि जैन ने अपनी होना बताया। उक्त वाहन सभी शक्सों ने सट्टे की खाईवाली में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों तथा दांव पर लगाई गई जुआ रकम को लाने ले जाने में प्रयोग में लेना बताया है। अतः उक्त वाहनों को सट्टे की खाईवाली में उपकरणों के परिवहन में प्रयुक्त लिया जाना पाया जाने पर बतौर वजह सबूत जप्त किये गये। मौके पर मौजूद उपरोक्त सभी शक्सान का कृत्य जुर्म धारा 3/4 आर0पी0जी0ओ0 420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0 व 66सी आईटी एक्ट का प्रमाणित पाया जाने पर जरिये फर्द गिरफतार किया गया। बाद कार्यवाही मौके से मय गिरफतारशुदा मुलजिमान नफर नौ मय जप्तशुदा आर्टिकल्स,मय जुआ रकम मय जप्तशुदा वाहनों मय हमराही जाप्ता के मौके से रवाना होकर हाजिर थाना आया हुँ। जप्तशुदा आर्टिकल्स,मय जुआ रकम मय जप्तशुदा वाहनों को मुताबिक फर्द जमा मालखाना करवाया गया। रिपोर्ट वास्ते कायमी प्रकरण श्रीमान की सेवामें पेश है।^{००००} कार्यवाही पुलिस^{००००}प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट मय फर्दात मय जप्त शुदा जुआ रकम मय जुआ उपकरण मय जप्त शुदा वाहनात मय गिर^०शुदा मुल्जिमान नफर 09 उपरोक्तानुसार श्री नवरतन धौलिया पु^०नि^०ने अपनी वापसी पर पेश की। जिस पर प्रकरण अन्तर्गत धारा 3/4 आर0पी0जी0ओ0 420,467,468,471,120बी भा0दं0सं0 व 66सी आईटी एक्ट मे दर्ज कर मन थानाधिकारी पुरुषोत्तम महेरिया पु^०नि^०मशरुफ तफतीश होता हुँ। गिर^०शुदा मुल्जिमान नफर 09 को जरिये पहरा संतरी बाद जामा तलाशी बंद हवालात कराया गया। उपरोक्त रिपोर्ट की अक्षरश नकल रोज^०आम सीसीटीएनएस मे की जाकर प्रतिया एफआइआर नियमानुसार जारी की जावे तथा एफआइआर नम्बर मुताबिक सीसीटीएनएस के पृथक से नीचे अंकित किया जावे।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

Pursotam Mehariya (निरीक्षक) /

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

Rank

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station

(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signature/

15. Date and time of dispatch to the court

(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pursotam Mehariya

Rank (पद): I (Inspector)

No(सं.):

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)